भारत - पाकिस्तान संबंध

भारत पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध चाहता है, जिसके लिए हिंसा एवं आतंक से मुक्त माहौल की जरूरत है।

अप्रैल 2010 में थिंपू में सार्क शिखर बैठक के दौरान अतिरिक्त समय में प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री गिलानी के बीच बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सभी बकाया मुद्दों के समाधान के लिए भारत की तत्परता के बारे में बताया था। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच जुलाई 2010 में इस्लामाबाद में और दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच फरवरी 2011 में थिंपू में अनवर्तन बैठकें हुईं। विदेश सचिवों की बैठक के दौरान सभी मुद्दों पर वार्ता बहाल करने के लिए औपचारिक रूप से सहमति हुई : (i) आतंकवाद की खिलाफत (मुंबई ट्रायल पर प्रगति सहित) और माननीय मुद्दों पर गृह सचिव के स्तर पर वार्ता; (ii) सी बी एम सहित शांति एवं सुरक्षा; (iii) जम्मू एवं कश्मीर; और (iv) विदेश सचिवों के स्तर पर मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान को बढ़ावा देना; (v) रक्षा सचिव के स्तर पर सियाचीन पर वार्ता; (vi) वाणिज्य सचिव के स्तर पर आर्थिक मुद्दों पर वार्ता; (vii) जल संसाधन सचिव के स्तर पर तुलबुल नेविगेशन परियोजना / वुलर बैराज पर वार्ता; और (viii) महा सर्वेक्षक / अपर सचिव के स्तर पर सर क्रीक पर वार्ता।

तब से जन दर जन संपर्क बढ़ाने के लिए दोनों देशों द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। 2005 और 2008 में शुरू की गई क्रमश: एल ओ सी पारीय यात्रा तथा जम्मू एवं कश्मीर से व्यापार इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान ने तत्कालीन विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा के दौरान सितंबर 2012 में एक नए वीजा करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस करार से द्विपक्षीय वीजा व्यवस्था के उदारीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

बहाल हुई वार्ता के दो चक्र पूरे हो चुके हैं; तीसरा चक्र सितंबर 2012 में उस समय शुरू हुआ था जब इस्लामाबाद में वाणिज्य सचिवों की बैठक हुई थी। दिसंबर 2012 में नई दिल्ली में तीसरे चक्र में परंपरागत एवं गैर परंपरागत सी बी एम पर वार्ता हुई थी। 4 मार्च 2014 को नई दिल्ली में एल ओ सी (नियंत्रण रेखा) पारीय व्यापार एवं यात्रा सी बी एम पर कार्य समूह की बैठक हुई जिसमें मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

11 मई 2013 को हुए चुनावों में पाकिस्तान की पी एम एल (एन) पार्टी को भारी जनादेश प्राप्त हुआ जिसकी वजह से इस दल के नेता मियां नवाज शरीफ नई सरकार का गठन करने में समर्थ हुए। 12 मई को भेजे गए अपने बधाई पत्र में प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों में एक नया रास्ता तैयार करने के लिए पाकिस्तान की नई सरकार के साथ काम करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। प्रधानमंत्री के विशेष दूत राजदूत एस के लांबा ने मियां नवाज शरीफ के औपचारिक रूप से सत्ता संभालने से पूर्व ही प्रधानमंत्री के संदेश से निजी तौर पर अवगत कराने के लिए 27 मई 2013

को लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात की - यह एक ऐसा प्रयास था जिसकी पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री द्वारा प्रशंसा की गई। राजदूत शहरयार खान ने भी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विशेष दूत में 4 से 6 जुलाई के दौरान भारत का दौरा किया तथा 5 जुलाई को प्रधानमंत्री से मुलाकात की तथा बैठक के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ओर से प्रधानमंत्री को एक निजी पत्र भी सौंपा।

6 अगस्त 2013 को पाक आर्मी की भागीदारी के साथ कायरतापूर्ण हमले के बाद, जिसमें नियंत्रण रेखा पर भारत के पांच जवान शहीद हो गए, भारत ने पाकिस्तान से युद्ध विराम बनाए रखने तथा नियंत्रण रेखा की पवित्रता कायम रखने का आह्वान किया, जो दोनों देशों के बीच सबसे महत्वपूर्ण सी बी एम है तथा साथ ही पाकिस्तान का यह आश्वासन कि वह अपने नियंत्रण के अधीन भूभाग का प्रयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा, जो द्विपक्षीय वार्ता का आधार था। सूचित किया गया कि पाक आर्मी द्वारा नियंत्रण रेखा पर ऐसी अकारण घटनाओं का हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ेगा।

29 सितंबर 2013 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अतिरिक्त समय में अपनी बैठक में प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस बात पर सहमत हुए कि संबंध को आगे बढ़ाने जिसके लिए दोनों ही इच्छुक हैं, की पूर्वापेक्षा नियंत्रण रेखा पर स्थिति में सुधार है जहां युद्ध विराम का लगातार उल्लंघन हो रहा है और दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने युद्ध विराम की बहाली के कारगर उपायों तथा आगे की राह का सुझाव देने के लिए सैन्य प्रचालन के महानिदेशकों (डी जी एम ओ) को कार्य सौंपने का निर्णय लिया ताकि सुनिश्चित हो कि युद्ध विराम बना रहे और लागू रहे। 24 दिसंबर 2013 को बाघा में डी जी एम ओ की बैठक हुई।

आतंकवाद

पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्र से उत्पन्न आतंकवाद द्विपक्षीय संबंधों लिए गंभीर चिंता का विषय है। वस्तुत: इसी वजह से भारत ने पाकिस्तान से दृढ़ एवं स्थायी प्रतिबद्धता की मांग की है कि वे अपने नियंत्रण के अधीन भूभाग तथा अपने भूभाग का प्रयोग भारत के विरुद्ध केन्द्रित आतंकी गतिविधि में मदद करने और उकसाने के लिए तथा ऐसे आतंकी गुटों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए नहीं करेंगे। भारत ने निरंतर वार्ताकारों के साथ इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान को अपने उस आश्वासन को पूरा करना चाहिए जो वह अक्सर देता है तथा हमें उसने सर्वोच्च स्तर पर प्रदान किया है जो यह है कि पाकिस्तान अपने नियंत्रण के अधीन भूभाग को किसी भी ढंग से भारत विरोधी गतिविधियों के लिए प्रयुक्त करने की अनुमति नहीं देगा। इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए यह नितांत जरूरी है कि पाकिस्तान अपने स्वयं के भूभाग के अंदर मौजूद आतंकी नेटवर्कों, संगठनों एवं अवसंरचना को ध्वस्त करने के लिए दृढ़ कार्रवाई करे। तथापि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित संगठन जैसे कि लश्कर ए तोइबा (एल ई टी) विभिन्न उपनामों से पाकिस्तान में आज भी काम कर रहे हैं। एल ई टी नेता हाफिज सईद तथा उसके अनुयायी आज

भी भारत के विरुद्ध हिंसा भड़का रहे हैं। इसके अलावा हाल के महीनों में प्रमुख आतंकी जैसे कि मसूद अजहर तथा भारतीय कानून के भगोड़े पाकिस्तान में फिर से प्रकट हुए हैं।

पाकिस्तान में मुंबई आतंकी हमले पर चल रहे मामले में प्रगति को अपनी धरती से आतंकवाद के उन्मूलन की दिशा में संघर्ष के लिए पाकिस्तान की प्रतिबद्धता के एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है। तथापि 2008 के मुंबई आतंकी हमले में भागीदारी के लिए आतंकवाद रोधी न्यायालय (ए टी सी) में 7 व्यक्तियों का ट्रायल धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। सुनवाई बार बार स्थगित होती है, वकील उपस्थित नहीं होते हैं तथा अभियोजन पक्ष के वकीलों एवं जजों में अक्सर परिवर्तन होते हैं। पाकिस्तान के एक न्यायिक आयोग ने सितंबर 2013 में भारत का दूसरी बार दौरा किया तथा अभियोजन के प्रमुख गवाहों से जिरह की। 29 सितंबर 2013 को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री को बताया कि मुंबई हमले के दोषियों को दंडित करने के लिए कारगर कार्रवाई करना वस्तुत: पाकिस्तान की मंशा है तथा अब जब न्यायिक आयोग भारत में साक्ष्य एकत्र करने के बाद पाकिस्तान वापस आ गया है, इस दिशा में और प्रगति होगी। तथापि किसी न किसी कारण से मामले की सुनवाई में आज भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।

आर्थिक संबंध

2012-13 में भारत और पाकिस्तान के बीच औपचारिक रूप से लेखांकित द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 2.6 बिलियन अमरीकी डालर था (भारत से पाकिस्तान को निर्यात का मूल्य 2.064 बिलियन अमरीकी डालर तथा पाकिस्तान से आयात का मूल्य 541 मिलियन अमरीकी डालर था)। इस अवधि के दौरान पहली बार पाकिस्तान से भारत को होने वाले निर्यात का मूल्य 500 मिलियन अमरीकी डालर के आंकड़े को पार किया। (तीसरे देशों के माध्यम से व्यापार का अनुमानित मूल्य 3.5 बिलियन अमरीकी डालर से 4 बिलियन अमरीकी डालर के आसपास है)। भारत की ओर से पाकिस्तान को जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है उनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं : कपास, जैविक रसायन, निर्मित पशु आहार सहित खाद्य उत्पाद, सब्जियां, प्लास्टिक की वस्तुएं, मानव निर्मित फिलामेंट, कॉफी, चाय और मसाले, डाई, तिलहन एवं जैतून आदि शामिल हैं। भारत द्वारा पाकिस्तान से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में निम्नलिखित शामिल हैं : कॉपर तथा कॉपर की बनी हुई वस्तुएं, फल एवं गिरी, कपास, नमक, सल्फर एवं अर्थ तथा पत्थर, जैविक रसायन, खनिज ईंधन, रबर, प्लास्टिक के उत्पाद, ऊन आदि।

एम एफ एन स्टेटस

भारत ने 1996 में पाकिस्तान को एम एफ एन स्टेटस प्रदान किया था। भारत को एम एफ एन स्टेटस प्रदान करने के लिए पाकिस्तान द्वारा नवंबर 2011 के मंत्रिमंडल निर्णय को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। तथापि पाकिस्तान ने मार्च 2012 में 1209 टैरिफ लाइनों की

नकारात्मक सूची द्वारा 1950 से अधिक टैरिफ लाइनों की एक सकारात्मक सूची को प्रतिस्थापित किया है तथा भारत से उनके आयात की अनुमति प्रदान की है जिनके लिए भारत से आयात की अनुमति नहीं थी।

अगस्त 2012 में भारत ने सबसे कम विकसित देशों से भिन्न देशों के लिए अपनी साफ्टा संवेदनशील सूची में 30 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की जिससे तीन वर्ष की अवधि के अंदर 264 मदों पर टैरिफ को घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा। इस उपाय से पाकिस्तान की प्रमुख रुचि वाले क्षेत्रों में भारत को पाकिस्तान के निर्यात को लाभ हुआ।

20 और 21 सितंबर 2012 को इस्लामाबाद में वाणिज्य सचिव के स्तर पर वार्ता के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को पूरी तरह सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक रोड मैप स्थापित किया गया। तथापि इस रोड मैप के पहले चरण के अभाव में अर्थात बाघा / अटारी भूमि मार्ग से आयात के योग्य सभी वस्तुओं के लिए पाकिस्तान द्वारा अनुमति न दिए जाने (वर्तमान में केवल 137 मदों के आयात की अनुमति है) के कारण इस रोड मैप का कार्यान्वयन नहीं हो पाया है।

18 जनवरी 2014 को नई दिल्ली में अपनी बैठक के दौरान भारत और पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रियों ने सामान्य व्यापार संबंध स्थापित करने की गति तेज करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की तथा इस संदर्भ में वे पारस्परिक आधार पर गैर भेदभावपूर्ण बाजार पहुंच (एन डी एम ए) प्रदान करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने व्यापार को सामान्य बनाने, उदारीकरण एवं सुगमता की प्रक्रिया तेज एवं गहन करने तथा फरवरी 2014 के अंत से पहले सहमत उपायों को लागू करने का निर्णय लिया। अन्य बातों के साथ इन कदमों का कार्यान्वयन प्रतीक्षारत है अर्थात पाकिस्तान सरकार द्वारा नकारात्मक सूची नहीं हटाई गई है तथा बाघा भूमि मार्ग से आयात के योग्य अनेक वस्तुओं पर प्रतिबंध नहीं हटाया गया है।

व्यापार करार

दोनों पक्षों के कारोबारी समुदायों के बीच आत्मविश्वास पैदा करने के उद्देश्य से भारत के विभिन्न व्यापार विनियामक निकायों के प्रतिनिधियों ने 2011-12 के दौरान व्यापार विनियम, मानक, लेवल तथा मार्किंग संबंधी अपेक्षाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तान के अग्रणी वाणिज्य एवं उद्योग चैंबरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की। 21 सितंबर 2012 को वाणिज्य सचिवों की वार्ता के दौरान तीन करारों अर्थात सीमा शुल्क सहयोग करार, परस्पर मान्यता करार तथा व्यापार शिकायत निवारण करार पर हस्ताक्षर किए गए।

व्यापार अवसंरचना

अन्यों के अलावा भारत और पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रियों तथा दोनों देशों के पंजाब प्रांत के मुख्य मंत्रियों की उपस्थिति में भारत के तत्कालीन गृह मंत्री ने 13 अप्रैल 2012 को अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट (आई सी पी) का उद्घाटन किया। अटारी एकीकृत चेक पोस्ट व्यापार एवं यात्रा को सुगम बनाने के लिए बड़े पैमाने पर संशोधित अवसंरचना का प्रतिनिधित्व करता है। 118 एकड़ में फैले इस चेक पोस्ट में 9600 वर्ग मीटर में एक यात्री टर्मिनल, 4700 वर्ग मीटर का एक समर्पित कार्गो टर्मिनल तथा ट्रकों की पार्किंग के लिए अलग से 50000 वर्ग मीटर के स्थान तथा भविष्य में विस्तार के लिए इतने ही विशाल स्थान की उपलब्धता के अलावा 10000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में आयात एवं निर्यात के लिए अलग अलग माल गोदाम हैं। दोनों पक्षों ने अटारी - बाघा व्यापार मार्ग पर 24x7 प्रचालन, अमृतसर एवं लाहौर के बीच कंटेनर की आवाजाही तथा अटारी / बाघा पर कारोबारी व्यक्तियों के लिए मिलन बिंदु आदि जैसी पहलों पर चर्चा की है। पाकिस्तान में अनेक हिस्सों से यह मांग की गई है कि भारत के साथ अधिक भूमि व्यापार मार्ग खोले जाने चाहिए जिसमें मुनाबाओ - खोखरापार व्यापार मार्ग शामिल है। इस पर विचार करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया है।

अन्य आर्थिक पहलें

पाकिस्तान में बिजली के संकट से निपटने में सहायता के लिए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के अनुरोध के जवाब में अमृतसर होते हुए जालंधर से लाहौर तक दादरी - बवाना - नांगल पाइप लाइन के विस्तार के माध्यम से प्रतिदिन 5 मिलियन घन मीटर तक गैस की आपूर्ति तथा विद्युत व्यापार को सुगम बनाने के लिए अमृतसर से लाहौर तक 500 मेगावाट का एक एच वी डी सी लिंक स्थापित करने की संभावना पर विचार किया गया। बिजली और गैस क्षेत्र से सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रतिनिधियों से युक्त एक संयुक्त भारतीय शिष्टमंडल ने तकनीकी स्तर पर चर्चा करने के लिए 9 से 12 जून 2013 के दौरान लाहौर एवं इस्लामाबाद का दौरा किया तथा पंजाब के मुख्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री ऊर्जा समिति के सदस्य सहबाज शरीफ, जल एवं विद्युत मंत्री ख्वाजा आसिफ और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री शाहिद खाकन अब्बासी को प्रस्तुति दी। जुलाई - अगस्त 2013 से कुछ माह के अंतराल के बाद, जब अनुवर्तन के लिए पाकिस्तान से शिष्टमंडल की भारत यात्रा की अपेक्षा थी, विद्युत में व्यापार पर 5 मार्च 2014 को तथा गैस एवं पेट्रोलियम क्षेत्र पर सहयोग पर 1 अप्रैल 2014 को दिल्ली में आगे वार्ता हुई।

पाकिस्तान ने 1 अगस्त 2012 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पाकिस्तान से निवेश को अनुमत करने संबंधी भारत के निर्णय का स्वागत किया। शेयरों तथा परिवर्तनीय डिवेंचरों में पाकिस्तान से निवेश को अनुमत करने संबंधी निर्णय को 22 अगस्त 2012 को आर बी आई द्वारा अधिसूचित किया गया। सितंबर 2012 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत से पाकिस्तान में निवेश पर प्रतिबंध को हटा लिया।

व्यवसाय का आदान प्रदान

पिछले दो वर्षों में कारोबारी शिष्टमंडलों के आदान प्रदान की मजबूत परंपरा और सुदृढ़ हुई है। नवगठित संयुक्त व्यवसाय परिषद (जे बी सी) / फोरम, जिसमें प्रत्येक देश से 15 शीर्ष स्तरीय कारोबारी प्रतिनिधि शामिल हैं, की पहली बैठक 29 जून 2013 को इस्लामाबाद में हुई। संयुक्त व्यवसाय परिषद ने कृषि, फार्मास्युटिकल, आटोमोबाइल तथा स्वास्थ्य देखरेख में आर्थिक सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की जांच करने के लिए 10 कार्यबलों का गठन करने का निर्णय लिया। इसकी दूसरी और तीसरी बैठकें क्रमश: नई दिल्ली और लाहौर में अक्टूबर 2013 और फरवरी 2014 में हुई।

अप्रैल 2012 से व्यवसाय दर व्यवसाय आदान प्रदान में निम्नलिखित शामिल हैं : 7 और 8 मई 2012 को लाहौर में दूसरी भारत - पाक अमन की आशा आर्थिक सम्मेलन 'लाभांश : शांति के लाभ' में सी आई आई द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय कारोबारी शिष्टमंडल की भागीदारी; 13 से 15 जुलाई 2012 के दौरान कराची में 'माई कराची' प्रदर्शनी में बाम्बे चैंबर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री की भागीदारी, 2013 में कराची में इंडिया एक्सपो में भागीदारी, 14 से 16 फरवरी 2014 के दौरान लाहौर में इंडिया शो के दूसरे संस्करण में भागीदारी जिसका उद्घाटन पाकिस्तान के संघीय वाणिज्य मंत्री खुर्रम दस्तगिर खान द्वारा किया गया, 31 अगस्त से 4 सितंबर 2012 के दौरान फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैंबर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री इन मुंबई द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी 'मेड इन पाकिस्तान', नवंबर 2012 एवं 2013 में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पाकिस्तान की भागीदारी तथा अनेक अन्य व्यापार प्रदर्शनियों एवं कार्यक्रमों में भागीदारी जिसमें चंडीगढ़, लुधियाना, दिल्ली आदि में पी एच डी चैंबर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित व्यापार प्रदर्शनी एवं कार्यक्रम शामिल हैं। 'लाइफ स्टाइल पाकिस्तान' के अगले संस्करण की योजना बनाई जा रही है।

मानवीय मुद्दे

कैदियों पर एक संयुक्त न्यायिक समिति, जिसमें दोनों देशों की उच्च न्यायपालिका से सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल हैं, एक दूसरे के जेलों में बंद कैदियों एवं मछुआरों से संबंधित मानवीय मुद्दों की जांच पड़ताल करती है जिनका यह वैकल्पिक तौर पर वर्ष में दो बार दौरा करती है। भारत की पिछली यात्रा अक्टूबर 2013 में हुई थी। बेहतर कोंसुलर पहुंच, तेजी से ट्रायल, कानूनी सहायता का प्रावधान, मानवीय व्यवहार, सजा पूरी होने के बाद जल्दी से प्रत्यर्पण तथा उनकी नौकाओं के साथ मछुआरों का प्रत्यर्पण आदि पर समिति की सिफारिशों की कार्यान्वयन के लिए दोनों देशों की सरकारों द्वारा जांच की जा रही है। सरकार द्वारा निरंतर प्रयास के फलस्वरूप 2008 से पाकिस्तान की जेलों से तकरीबन 2000 भारतीय मछुआरों तथा 100 कैदियों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ऐसा विश्वास है कि इस समय 300 से अधिक मछुआरे तथा 200 से अधिक भारतीय कैदी पाकिस्तान की जेलों में हैं। उनमें से कुछ ने अपनी सजा पूरी कर ली है तथा रिहाई

की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2008 से पाकिस्तानी प्राधिकारियों की अभिरक्षा में 8 भारतीय मछुआरों तथा 3 कैदियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है, इनमें से कुछ की मृत्यु के बारे में ऐसा ज्ञात या विश्वास है कि उनकी मृत्यु गैर प्राकृतिक कारणों से हुई। गिरफ्तार किए गए भारतीय मछुआरों की जब्त की गई नौकाओं की कथित तौर पर नीलामी के मुद्दे को पाकिस्तान के संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है।

अधिक जानकारी तथा नवीनतम अपडेट के लिए कृपया
भारतीय उच्चायोग, इस्लामाबाद की वेबसाइट पर जाएं :
http://www.india.org.pk/

*****

अप्रैल, 2014